

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के जल सेवा आंकलन, RPWSS ID, जल अर्पण, जिला तकनीकी इकाई (DTU), नल जल मित्र एवं सम्बन्धित फर्मों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति के संबंध में
दिनांक 25.05.2026 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
2. श्री कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण, मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
3. श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी(बि०/गि०), मुजफ्फरनगर।
4. श्री अनिल राठी, ब्लॉक प्रमुख, मोरना, जनपद-मुजफ्फरनगर।
5. श्री नरेन्द्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख, जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर।
6. डी० सुनील तेवतिया, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर।
7. श्रीमति रेणु श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
8. श्री संदीप कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
9. श्री संजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
10. श्री अंकित कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
11. श्री मनेन्द्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, मुजफ्फरनगर।
12. श्री यगन कुमार, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, मुजफ्फरनगर।
13. श्री संदीप धीमान, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जे०एम०सी०-एल०सी०एस०पी०एल(जे०वी०)।
14. श्री मांगेराम प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० गायत्री-रेमकी(जे०वी०)।
15. श्री संजीव त्यागी, जनरल मैनेजर, मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)।
16. श्री प्रवीण कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० ल्यूमिनो इण्डस्ट्रीज।
17. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
18. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), मुजफ्फरनगर।
19. समस्त जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2026 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के जल सेवा आंकलन, RPWSS ID, जल अर्पण, जिला तकनीकी इकाई (DTU) नल जल मित्र एवं सम्बन्धित फर्मों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति हेतु समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में सम्पन्न हुई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1-जल सेवा आंकलन एवं जिला तकनीकी इकाई(DTU) की प्रगति:-

(i) जल सेवा आंकलन- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- W-11042/101/2025-JJM-IV-ODWS-Part(1) दिनांक 31.12.2025 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 01.01.2026 तथा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 3237/Jal Seva Ankalan/2025-26/Tech-20 दिनांक 07.01.2026 जिसके द्वारा अवगत कराया गया है, कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को निर्यामित, पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब तक पेयजल योजनाओं की फंक्शनैलिटी का सर्वेक्षण समय-समय पर Third Party Inspection

✓

Agency के माध्यम से कराया जाता रहा है। ग्राम स्तर पर पेयजल सेवाओं को निरन्तर स्थानीय स्वामित्व आधारित निगरानी व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप देने की आवश्यकता है। उक्त उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की ग्राम पंचायत द्वारा फंक्शनलिटी के सम्बन्ध में जल सेवा आकलन के संचालन हेतु निर्देशित किया गया है।

जल सेवा आकलन ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम स्तरीय जल आपूर्ति सेवाओं का आकलन है, इस हेतु माननीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.12.2025 को JJM-IMIS पंचायत डैशबोर्ड पर ई-लॉन्च किया गया। जल सेवा आकलन की डिजिटल प्रविष्टि पंचायत सचिव द्वारा की जानी है। इसकी जानकारी "पेरी पंचायत" ऐप के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करायी जानी है कि ग्रामीण परिवारों को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में स्वीकार्य गुणवत्ता की पेयजल आपूर्ति मिल रही है या नहीं, साथ ही परिचालन सम्बन्धी समस्याये, शिकायत निवारण की स्थिति, उपभोक्ता शुल्क संग्रहण से सम्बन्धित जानकारी भी उक्त ऐप पर प्रदर्शित होगी।

जनपद में जल सेवा आकलन की प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	कुल लक्ष्य	पूर्ण	अवशेष
1	218	216	02

उक्त अवशेष 02 नग योजनाएं Urbanised हो जाने के कारण इनका जल सेवा आकलन किया जाना संभव नहीं है। अतः जल सेवा आकलन का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा लिया गया है। किये गये जल सेवा आकलन के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 53 नग योजनाओं पर ही कार्यवृत्त अपलोड हो पाया है, जिन्हे डी०पी०आर०ओ० से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(ii) - जिला तकनीकी इकाई (DTU) - उप सचिव, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या W-11042/101/2025-JJM-IV-DDWS दिनांक 05 मार्च 2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा जल सेवा आकलन के अंतर्गत DTU (District Technical Unit) Review Module के प्रभावी उपयोग हेतु एक विस्तृत User Manual उपलब्ध कराया गया है, जिससे जनपद स्तर पर DTU द्वारा तकनीकी समीक्षा तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की बैठकों में विषयों पर सुव्यवस्थित विचार-विमर्श सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार, संबंधित अधिकारियों एवं (DTU) कार्मिकों को उक्त मॉड्यूल के उपयोग के संबंध में अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये जिससे जल सेवा आकलन के अन्तर्गत तकनीकी समीक्षा एवं सेवा सुधार योजना की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्रांक 1384/108/29 दिनांक 24.03.2026 द्वारा जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) का गठन निम्नानुसार किया गया है:-

क्र०सं०	पदनाम	पद
1	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) सिविल	अध्यक्ष/संयोजक
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि(श्री दिक्कान्त, डी०एस०ओ०)	सदस्य
3	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वि०/या०	सदस्य
4	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	सदस्य
5	जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य
6	अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सदस्य
7	सहायक विकास अधिकारी, पंचायतीराज (तकनीकी)	सदस्य
8	जनपद स्तरीय लेव के कमिस्टर	सदस्य
9	ग्राम जल विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
10	जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य तकनीकी सदस्य(अधिशासी अभियन्ता, जल निगम नगरीय)	सदस्य

जिला तकनीकी इकाई(DTU) द्वारा वर्तमान तक जल सेवा आकलन की समीक्षा का कार्य 71 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। निर्देश दिये गये कि

2- RPWSS(Rural Piped Water Supply Scheme) ID

उप सचिव, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या W-11011/17/2024-JJM-IV-DDWS दिनांक 25 अक्टूबर 2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त जिलाधिकारियों से अपनी नियमित बैठकों में RPWSS ID के सृजन की प्रगति की नियमित समीक्षा किए जाने की अपेक्षा की गई है। यह भी उल्लेख करना है कि, भारत सरकार के दिए गये निर्देशों के क्रम में RPWSS ID का सृजन किए जाने तथा 'सुजलाम भारत' ऐप के माध्यम से Geo-tagging पूर्ण किए जाने के उपरांत ही संबंधित योजना के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित की जाएगी। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 317 नग एकल ग्राम योजनाओं की RPWSS ID का सृजन किया जा चुका है एवं अवशेष 107 नग बहुल ग्राम योजनाओं की RPWSS ID का सृजन पूर्व में मुख्यालय स्तर से सर्वप्रथम Out Villages infrastructure बनाकर तत्पश्चात जनपद के जिलाधिकारी की आई0डी0 से In Villages infrastructure बनाकर किया जाना था, जोकि वर्तमान में जिला स्तर पर ही स्थानान्तरित कर दी गयी है। अतः MVS ID का पूर्ण सृजन वर्तमान में जिलाधिकारी की आई0डी0 से ही किया जाना है।

जनपद में RPWSS की प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	कुल योजनाये	पूर्ण	अवशेष
1	424	317	107

निर्देश दिये गये कि MVS ID का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर सुजलाम भारत ऐप पर जियोटैगिंग कराना सुनिश्चित करे।

3-जल अर्पण

अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक 4103/W-17/Jalarpan/Tech-1/2025-26 दिनांक 06.03.2026 द्वारा अवगत कराया गया है जनपद स्तर पर दिनांक 08 मार्च से 22 मार्च 2026 के मध्य न्यूनतम 3 योजनाओं पर जल अर्पण दिवस के कार्यक्रमों को आयोजित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। वर्तमान तक जनपद में 4 योजनाओं पर जल अर्पण कार्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	विकास खण्ड	योजना का नाम
1	मोरना	शुकताल
2	बधरा	जागाहेड़ी-काजीखेड़ा
3	शाहपुर	चौदपुर-बसथाड़ा
4	चरथावल	कान्हाहेड़ी

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं फर्मों के परियोजना प्रबन्धकों को सभी पूर्ण योजनाओं पर जल अर्पण कार्यक्रम यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

4-नल जल मित्र:- अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 3139 दिनांक 09.10.2023 द्वारा नल जल मित्र कार्यक्रम की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक 500-1000 परिवारों के मध्य एक व्यक्ति अथवा प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधिकतम दो व्यक्तियों को प्रशिक्षित किये जाने है। जिस हेतु जनपद का लक्ष्य 585 था, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 174 का नोमिनेशन प्राप्त हो गया है। अवशेष 411 के नोमिनेशन कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत से नोमिनेशन प्राप्त कर ले।

इसके अतिरिक्त फर्मों की प्रगति के बारे में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

4

1- मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0इ0एस0पी0एल0(जे0वी0), मुम्बई की स्वीकृत 215 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 212 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 213 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 201 योजनाओं में 1235.06 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 117370 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं। 202 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर है, जिसके सापेक्ष 129 योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत 166 नग योजनाओं के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध हैं एवं जिनमें से 125 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं। फर्म के पास 50 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 47 नग योजनाओं पर विद्युत विभाग से प्राप्त टी0सी0 के सापेक्ष 47 योजनाओं की धनराशि जमा कराई गई है, जिसमें से 43 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन पूर्ण हो गये हैं। फर्म द्वारा 216 अवर जलाशय के सापेक्ष 213 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसके सापेक्ष 79 योजनाओं पर अवर जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा पाईप लाईन बिछाते समय 1191.00 कि0मी0 सड़क काटी गई है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 1170.82 कि0मी0 सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 20 नग योजनाओं को पूर्ण कर संचालन एवं रखरखाव में स्थानान्तरित कर दिया गया है एवं 32 नग पेयजल योजनाओं को संचालन एवं रखरखाव में स्थानान्तरित करने हेतु ट्रायल एण्ड रन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कठे निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन का कार्य अवशेष है, उन योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापन के कार्य यथाशीघ्र प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

2- मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0), हैदराबाद की स्वीकृत 19 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 19 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक सभी ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 262.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 27478 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं, सभी 23 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत सभी 18 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं। फर्म के पास 05 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान सभी योजनाओं के विद्युत कनेक्शन करा लिये गये हैं। उपलब्ध 23 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 23 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा 18 योजनाओं का हर घर जल प्रमाणीकरण करा दिया गया है। 19 नग योजनाओं को पूर्ण कर संचालन एवं रखरखाव में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

3- मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0), नई दिल्ली की स्वीकृत 109 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 105 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 105 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 102 योजनाओं में 774.83 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 68032 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये हैं। 95 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 03 पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत 63 नग योजनाओं के सापेक्ष 29 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं। फर्म के पास 49 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 40 नग योजनाओं पर विद्युत विभाग से प्राप्त टी0सी0 के सापेक्ष 14 योजनाओं की धनराशि जमा कराई गई है, जिसमें से मात्र 17 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन कराये गये हैं। फर्म द्वारा 110 अवर जलाशय के सापेक्ष 79 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है एवं वर्तमान तक 06 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा मात्र 01 योजना का हर घर जल प्रमाणीकरण किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा

पाइप लाईन बिछाते समय 793.00 कि०मी० सडक काटी गई है, जिसके मापेश वर्तमान तक 738.00 कि०मी० सडक मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 07 नग पेयजल योजनाओं को संचालन एवं रखरखाव में स्थानान्तरित करने हेतु ट्रायल एण्ड रन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अयोधस्ताक्षरी द्वारा कड़े निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर सडक पुर्नस्थापन का कार्य अवशेष है, उन योजनाओं पर सडक पुर्नस्थापन के कार्य यथाशीघ्र प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

4- मै० ल्यूमिनो इन्डस्ट्रीज लि०, कोलकाता को शासनादेश संख्या 63/2024/2066/छिदत्तर-1-2024/1739613 दिनांक 29 अगस्त, 2024 के अनुसार निर्गत संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 में निहित प्रावधानों के अनुसार मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ के पत्रांक संख्या 548/011-निविदा/25 दिनांक 04.03.2025 द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में ग्रामीण पेयजल योजनाओं का सर्वेक्षण, डी०पी०आर० बनाने तथा 10 वर्ष तक संचालन एवं रखरखाव कार्य करने हेतु चयनित किया गया है। चयनित फर्म को खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर के पत्रांक 1984/121/42 दिनांक 16.04.2025 द्वारा पूर्व निर्मित समस्त 130 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं की सूची उपलब्ध करा दी गयी है एवं चयनित फर्म मै० ल्यूमिनो इन्डस्ट्रीज द्वारा उक्त ग्रामों की डी०पी०आर० बनाकर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर दी गई है। वर्तमान में 116 नग योजनाओं पर जलापूर्ति चालू है, जिसमें 128 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि भीषण गर्मी के दृष्टिगत समस्त योजनाओं पर जलापूर्ति चालू रखे एवं यदि किसी कारण से जलापूर्ति बाधित होती है तो उसका तत्काल निस्तारण कराये।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी जूनियर इंजीनियर जल निगम(ग्रामीण) अपने से सम्बन्धित विकास खण्ड की योजनावार प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करावेंगे। योजनाओं का निरीक्षण खण्ड विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा एवं निरीक्षण आख्या मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे। निरीक्षण के दौरान योजना से सम्बन्धित कार्य जैसे पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, पाइपलाइन, सडक पुर्नस्थापन, पेयजल गृहसंयोजन की गुणवत्ता की जाँच करनी है।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जिन योजनाओं की भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत से अधिक है, उन योजनाओं का भुगतान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं का भुगतान हुआ है, उक्त धनराशि उन्हीं योजनाओं में व्यय की जाये। जिला पंचायत राज अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाये कि ग्रामों के पंचायत भवन, स्कूल आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सरकारी भवनों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध हो।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा टी०पी०आई०(थर्ड पार्टी इस्पेक्शन) को कड़े निर्देश दिये गये कि जल जीवन मिशन भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित कराये गये कार्य गुणवत्तापूर्वक कराना सुनिश्चित करे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि यदि निर्माण कार्य मानकानुसार नहीं पाये गये तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि विभिन्न ग्रामों में एफ०टी०के० के माध्यम से की जा रही जल गुणवत्ता की जाँच को अपने स्तर से रिकार्डिंग कराये।

सम्बन्धित फर्म मै० जे०एम०सी०-एल०सी०आई०एस०पी०एल०(जे०वी०) के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ योजनाओं पर सोलर के वायर थोरी कर लिये गये हैं, जिसके कारण उक्त ग्रामों में पेयजलापूर्ति बाधित हो गयी है, जिस सम्बन्ध

में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी के सज्ञान में लाकर सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफ0आई0आर0) दर्ज कराये।

सम्बन्धित फर्म मै0 एन0के0जी0-ग्राइमस(जे0वी0) के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ वेन्डर्स द्वारा उनके जनपदीय कार्यालय पर तालाबन्दी की गई है, जिसके कारण योजनाओं के कार्य बाधित हो रहे हैं, जिस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अघोहस्ताधरी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 06 पेयजल योजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है एवं 04 योजनाओं पर भूमि विवाद होने के कारण कार्य बाधित है। साथ ही कुछ विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है, जिस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी खण्ड विकास अधिकारियों को प्रत्येक विकास खण्ड में 10 आदर्श ग्राम चयनित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कंडारकर कमलाकिशोर देशभूषण)
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।

पृ0सं0

2940 / 731 / 130

दिनांक:- 5.6.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त विषयक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य अभियन्ता(मैरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मैरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), सहारनपुर।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
7. वैसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
9. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्मों एवं सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्यों में बाधित प्रगति लाना सुनिश्चित करे।
10. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0एस0पी0एल(जे0वी0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0के0जी0-ग्राइमस(जे0वी0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
14. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 लघुमिनी इन्ड्रस्ट्रीज, लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त ग्रामों में पेयजलापूर्ति निरन्तर चालू रखे।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।